न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1358 / 2026
रूपसपुर थाना कांड संख्या—709 / 2025

1. राजू कुमार पिता सूर्य मोहन राय।
साकिन—पुरानी एतवारपुर, थाना—कुरथौल, जिला—पटना।
—————— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से— श्री अमित कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0 अपर लोक अभियोजक।

आदेश

14.08.2026 रूपसपुर थाना कांड संख्या—709 / 2025 धारा—316(2),318(4),3(5)बी.एन.एस .से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि महाबौध जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र 103, प्रथम तल, रामाल्या अपार्टमेंट, लेन 4ए., विजयनगर, रूकनपुरा, पटना, बिहार है, उक्त संस्था सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार से सूचिबद्ध होने के कारण विभिन्न विभागों में योजनाओं का प्रचार—प्रसार का कार्य करती है, उसी प्रचार—प्रसार के क्रम में मेसर्स विजयश्री प्रेस के प्रोपराईटर राजीव कुमार के साथ को प्रचार—प्रसार के लिये एल.ई.डी मोबाईल वैन उपलब्ध कराने हेतु मौखिक / लिखित आपसी समझौता किया गया कि बिहार सरकार के योजनाओं के प्रचार—प्रसार हेतु संस्था महाबौध जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र को आदेश प्राप्त होगा और उक्त संस्था के मेसर्स विजयश्री प्रेस के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा और खर्च का विवरण महाबौध जन स्वास्थ्य एवं सर्वोगीण विकास केन्द्र को प्रस्तुत करना है, इन सभी योजनाओं को देख—रेख एवं राशि की लेन—देन हेतु मेसर्स विजयश्री प्रेस के प्रोपराइटर राजीव कुमार के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। प्राधिकार पत्र के साथ संजीव कुमार को नियुक्त किया गया और यह भी जानकारी दिया गया कि संजीव कुमार भी उक्त प्रेस के मालिक ही है, जिनके साथ योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्णय एवं राशि का लेन—देन किया जा सकता है। संस्था के द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर संजीव कुमार के साथ

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1358 / 2026
रूपसपुर थाना कांड संख्या—709 / 2025

लगातार

14.08.2026

सभी योजनाओं के कार्यो में योगदान एवं राशि का लेन—देन करना प्रारम्भ कर दिया एवं राजीव कुमार ने संजीव कुमार को कार्य सौंप कर संस्था से सम्पर्क करना छोड़ दिया और संस्था के कर्मचारी द्वारा सम्पर्क किया गया तो राजीव कुमार कहते थे कि आप संजीव कुमार से बात कर लें, मुझे किसी भी कार्य का जानकारी नहीं है, जबकि संस्था के साथ कई योजनाओं में कार्य करते संजीव कुमार को संस्था के प्रति बेईमानी समा गया और संस्था में कार्यरत कर्मचारी राजू कुमार, लेखापाल एवं योजनाओं में कार्यरत शुभम कुमार, परियोजन प्रभारी को प्रलोभन देकर मिलाया और अनेक योजनाओं के बिल में हेराफेरी करवाते हुये संस्था के साथ समझौता में तय किये गये वैन के दर में परिवर्तन करवाया, जैसे कि छोटे एल.इ.डी. मोबाईल वैन 2000 /— प्रतिदिन सम्पूर्ण ब्रांडिंग, दक्ष चालक एवं दक्ष टेक्नीशियन के साथ तय था, परन्तु संजीव कुमार ने महाबोधि के लेखापाल राजू कुमार के साथ मिलकर बिल में दो हजार प्रतिदिन के स्थान पर ढाई हजार रू0 प्रतिदिन के हिसाब से बनवाया, जो कि उक्त प्रेस कभी भी महाबोधि को प्राप्त नहीं है और न ही कभी ASSETS का जिक्र हुआ है, जिसकी कुल राशि 73,26,124. 35 /—रू0 है। ASSETS का जिक्र मेसर्स विजयश्री प्रेस ने महाबोधि के बिल में किया है, वो ASSETS के मालिक राकेश भाटिया के द्वारा मेसर्स विजय श्री को उपलब्ध कराया गया था, जिस लेनदेन के गैरेंटर के तार पर महाबोधि के सचिव दिलीप कुमार थे। मेगास्टार एल.इ.डी. के साथ भी मेसर्स विजय श्री प्रेस ने गद्दारी किया और मेगास्टार एल.ई.डी. लिमिटेड के ASSETS के बिल का पूरा भुगतान नहीं किया, जिसका हर्जाना महाबोधि के सचिव दिलीप कुमार को गैरेंटर होने के कारण बकाया राशि का भुगतान कर पड़ा। सभी कर्मचारियों ने संस्था को गुमराह किया और साथ ही मेसर्स विजयश्री प्रेस को फायदा पहूँचाया। महाबोधि के द्वारा मेसर्स विजयश्री प्रेस को फोन एवं ई—मेल के माध्यम से अनगिनत बार बोला गया कि आप आकर योजनाओं का हिसाब करे, जिसका कोई जवाब आया और ना ही आकर हिसाब किये। चेकों के द्वारा भिन्न—भिन्न तिथियों पर कुल राशि 1,67,00,000 /—रू0 जो कि मेसर्स विजयश्री प्रेस का हिसाब ही संस्था महाबोधि से अत्यधिक रूपया लेने हेतु सोनू कुमार शर्मा, लेखापाल, महाबोधि एवं मेसर्स विजयश्री प्रेस बनाया गया था। सोनु कुमार द्वारा विजय श्री प्रेस के प्रत्येक हिसाब में हेराफेरी किया गया और संस्था को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि भिन्न—भिन्न तिथियों पर आवेदक राजू कुमार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हिसाब—किताब में हेरा—फेरी कर महाबौध जन स्वास्थ्य एवं

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1358 / 2026
रूपसपुर थाना कांड संख्या—709 / 2025

लगातार
14.08.2026

सर्वांगीण विकास केन्द्र का अत्यधिक धनराशि का गबन कर लेने से संबंधित है। अपराध गंभीर, असमाजिक प्रकृति का है तथा इस अपराध से समाजिक व्यवस्था प्रदूषित होती है। यह अपराध न केवल अवैध है, बल्कि अनैतिक भी है।

अवएव मामले के तथ्यों को देखते हुये अभियुक्त राजू कुमार को जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, उनके तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर